22-8-19

प्रार्थी के वकील उपस्थित अग्रसरीयत
के कोर्ट। तत्काल पेश नहीं हुए
वकील प्रार्थी के विशेष आग्रह
पर अंतिम अवसर दिया जाता
आगे कोई अवसर देय नहीं
होगा। वाद एक्ट तारीख 22-8-19
को पेश करें।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

22-8-19

प्रार्थी के वकील एवं प्रार्थी को तीन बार
पृथक 2 अवसर दिये गये परन्तु वे
अनुपस्थित है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रकरण अदम पैरवी एवं अदायगी
में स्थगित किया जाता है
पत्रावली कैटगरी शुमार बोर्ड दाखिल
अभिलेख करें।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2019.08.23 14:31:06 IST
Reason: SelfAttested